भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. 3090

जिसका उत्तर 12.03.2020 को दिया जाना है

सड़क दुर्घटनाओं की उच्च दर

3090. डॉ. ए. चेल्लाकुमारः

श्री एच. वसंतकुमारः

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सड़क दुर्घटनाओं की उच्च दर वाले देशों में से भारत एक है;

(ख) यदि हां, तो क्या एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की सड़कों पर प्रतिवर्ष लगभग 1.5 लाख लोग अपना जीवन गंवाते हैं और इससे पॉच गुना घायल होते हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत को अगले दशक में सड़क दुर्घटना मौतों की संख्या आधी करने के लिए 109 बिलियन डॉलर निवेश करने की आवश्यकता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उक्त रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत की सड़कों पर उच्च मृत्यु दर तंत्रबद्ध, लक्षित और लगातार सड़क सुरक्षा कार्यक्रमों में निवेश की निरंतर कमी के कारण है और इस प्रवृति को बदलने के लिए संगत निवेश प्राथमिकताओं की पहचान की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए या उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (ङ) सड़क दुर्घटनाएं लगातार एक प्रमुख विकासात्मक मुद्दा, एक लोक स्वास्थ्य चिंता और विश्व भर में 1.35 मिलियन लोगों की मौत का प्रमुख कारण बनी हुई हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, कैलेंडर वर्ष 2018 के दौरान देश में सड़क दुर्घटनाओं की कुल संख्या और देश में ऐसी दुर्घटनाओ हादसों में मरने वालों की संख्या इस प्रकार है: -

वर्ष	कुल दुर्घटनाएँ	मारे गए लोगों की संख्या	घायल व्यक्तियों की संख्या
2018	4,67,044	1,51,417	4,69,418

विश्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट में "भारत में सड़क सुरक्षा उपल्बध कराने-2030 तक नेतृत्व प्राथमिकताओं और पहल" शीर्षक के रूप में, राष्ट्रीय सड़क दुर्घटना में सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) 50 प्रतिशत कमी का लक्ष्य हासिल करने के लिए आने वाले दशक में 109 बिलियन यूएस डॉलर के अतिरिक्त निवेश की आवश्यकता का अनुमान लगाया है।

राज्य और केंद्र सरकारों, नगर निकायों आदि सहित सभी हितधारकों द्वारा सड़क सुरक्षा के मुद्दों पर एक व्यापक और एकीकृत दृष्टिकोण की आवश्यकता है। समस्या के संस्थागत स्वामित्व, सुरक्षित बुनियादी ढांचे के लिए जवाबदेही, एक नियामक ढाँचे पर ध्यान केंद्रित करना है जो सभी सड़क उपयोगकर्ताओं, असुरक्षित सड़क उपयोगकर्ता व्यवहारों के लक्षित प्रवर्तन और दुर्घटना के बाद की बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए वाहन सुरक्षा की अधिक माँग करता है।

हाल ही में संसद द्वारा पारित मोटर यान (संशोधन) विधेयक, 2019 सड़क सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करता है और इसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, यातायात उल्लंघन के लिए शास्तियों में संशोधन, और उसकी इलेक्ट्रॉनिक निगरानी, नाबालिग ड्राइविंग के लिए बढ़ायी गयी शास्ति, वाहन फिटनेस और ड्राइविंग परीक्षण का कम्प्यूटरीकरण/स्वचालन, दोषपूर्ण वाहनों को वापस बुलाना, थर्ड पार्टी पक्ष के बीमा को सुव्यवस्थित करना और हिट एंड रन के मामलों के लिए बढ़े हुए मुआवजे का भुगतान आदि शामिल हैं। संशोधन ने सड़क सुरक्षा परिदृश्य में सुधार और जीवन के नुकसान को कम करने के लिए कानून को मजबूत किया है।

मंत्रालय वाहन सुरक्षा मानकों में सुधार के लिए विनियम जारी करता है, दुर्घटना - बहुल स्थानों पर ध्यान देने के लिए स्थल विशिष्ट हस्तक्षेप करता है और सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए सड़क सुरक्षा प्रतिपालन और जागरूकता कार्यक्रमों जैसी विभिन्न कार्यकलापों का आयोजन भी करता है।

*****